5 रु. भारत पाँच रुपये Rs.5 INDIA FIVE RUPEES

विलोपित

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्रकरण क्र. निगरानी / 6154 / 2018 / नीमच / भू.रा.

दिलीप कुमार सौनी पुत्र विशनदास सौनी
निवासी – रामनगर मनासा, जिला नीमच
म.प्र. ....आवेदक

श्री लाखन सिंह धाकड़
द्वारा आज दि. 15-10-18
प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु
दिनांक 14-11-18 नियत।

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

बनाम

1– नंदकिशोर उर्फ अरविन्द्र पुत्र गंगाराम

2– श्यामलाल पुत्र गंगाराम

3– कैलाश पुत्र गंगाराम
निवासीगण – ऊषागंज कॉलौनी, मनांसा
जिला नीमच म.प्र. ....अनावेदकगण

निगरानी आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 न्यायालय अपर आयुक्त महोदय उज्जैन संभाग उज्जैन के प्रकरण क्र. 1326/अपील/16–17 में पारित आदेश दिनांक 13.09.2018 के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत।

18/10/18
Lakhan Singh Dhakar
Advocate

माननीय न्यायालय,

आवेदक की ओर से निगरानी आवेदन पत्र निम्नानुसार पेश है :–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

1. यहकि, विवादित भूमि सर्वे क. 228 रकवा 1.335 हैक्टर जो ग्राम रामपुरिया, तहसील मनासा, जिला नीमच मे स्थित है जिसे मानकुंवरबाई पत्नी गंगाराम कैलाश एवं श्याम पुत्रगण गंगाराम के नाम से 04.07.1977 को जर्ये रजि. विकय पत्र, कय की थी। जिनका विधिवत नामंतरण तीनों का हो गया, मानकुंवर की मृत्यु के बाद उक्त भूमि पर कैलाश व श्याम पुत्रगण गंगाराम का नामांतरण पंजी क. 20 पर दिनांक 02.06.99 को हो गया। प्रतिअपीलार्थी क. 2 व 3 द्वारा प्रश्नाधीन भूमि का मुख्त्यार आम कृष्णगोपाल पुत्र बंकटलाल को कर दिया गया। दिनांक 13.08.18 को लक्ष्मण, श्रीमती सूरजबाई को मुख्त्यार आम कृष्णगोपाल पुत्र बंकटलाल द्वारा विकय कर दी गयी। तथा प्रश्नाधीन भूमि लक्ष्मण, श्रीमती सूरजबाई से अपीलार्थी/दिलीप कुमार सौनी पुत्र विशनदास सौनी ने जर्ये रजिर्स्टड विकय पत्र दिनांक 06.03.2012 को कय की और मौके पर कब्जा प्राप्त किया। उक्त भूमि कय कर अपीलार्थी का नामांतरण पंजी कमांक 105 पर दिनांक 07.05.12 को हो गया था।

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-6154/2018/नीमच/भू.रा.

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05/12/2018	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री लखन सिंह धाकड़ उपस्थित। उन्हें ग्राह्यता के बिन्दु पर सुना गया। प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के द्वारा द्वितीय अपील में पारित आदेश दिनांक 13.09.2018 के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अपर आयुक्त द्वारा द्वितीय अपील में पारित आदेश के विरुद्ध निगरानी राजस्व मण्डल में प्रस्तुत करने संबंधी कोई प्रावधान नहीं रखा गया है। ऐसी स्थिति में यह निगरानी इस न्यायालय में प्रचलन योग्य नहीं है। अतः यह निगरानी आवेदक को सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु वापिस की जाए। **प्रशासकीय सदस्य**	